बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

पू.उ.प्र.अं./43/एसएलबीसी/दिसम्बर 2016/228 14.06.2017

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर 2016 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त दिसम्बर 2016 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 27.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) की वेबसाइट www.slbcup.com पर अपलोड कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(एस. बी. प्रसाद)
उप महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, पूर्वी उ.प्र. अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ –226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Eastern U.P. Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
फोन/Phone:6677607 (GM), 6677609(Sectt.), 6677722(AGM), 6677721, 6677725 (Deptt.) फैक्स/Fax:0522-6677726, 6677732
ई–मेल/E-mail:slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट/Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर 2016 तिमाही की दिनांक 27.03.2017 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की दिसम्बर 2016 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 27.03.2017 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री अशोक कुमार गर्ग, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, उ.प्र. शासन; श्री अखिलेश कुमार, आई.ए.एस., विशेष सचिव (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), उ.प्र. शासन; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, लखनऊ; श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड; श्री गौतम सेन गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ की उपस्थिति प्रमुख रही। विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। बैठक मे भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ मे श्री बी. एस. ढ़ाका, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

1. विगत 8 नवम्बर 2016 का ऐतिहासिक दिन जब रू 1000/- एवं रू 500/- के करेंसी नोट्स के डिमोनेटाइजेशन का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया था, तब से लेकर अभी तक प्रदेश सरकार एवं बैंकर्स ने कन्धे से कन्धा मिलाकर इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक निभाया है जिसके लिए मै यहाँ मौजूद सभी स्टेकहोल्डर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस मैराथन कार्य को सम्पादित करने मे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मार्गदर्शन एवं सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, वह अनुकरणीय है तथा हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे।
2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत जारी निर्देशों के क्रम में प्रदेश में SLBC की -7- उप समितियाँ विभिन्न विषयों पर गठित हैं। इनमें से SHG Bank Linkage; RSETIs; Agriculture Credit Flow; Credit Deposit Ratio एवं Recovery की उप समिति की बैठकें इस तिमाही में सम्बन्धित संयोजक बैंको द्वारा आयोजित कर विस्तृत चर्चा की गयी है।
   इन बैठकों को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि समिति के सभी नामित सदस्यों द्वारा इनमें सक्रिय सहभागिता की जाये ताकि विभिन्न मुद्दो पर व्यापक विचार विमर्श एवं निर्णायक चर्चा की जा सके।
3. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत LBS MIS विवरणियों के प्रेषण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। उल्लेखनीय है कि निर्धारित समय सारिणी के अनुसार बैंको द्वारा एस.एल.बी.सी. को डाटा प्रेषण किये जाने का प्रावधान किया गया है ताकि एस.एल.बी.सी. द्वारा समेकित विवरणियों का प्रेषण विभिन्न स्तरों पर किया जा सके। सभी उपस्थित बैंकर्स से अनुरोध दोहराना चाहूँगा कि कृपया इन निर्देशों के अनुसार हमें ससमय डाटा प्रेषण सुनिश्चित कर सहयोग प्रदान करें।
   साथ ही साथ बैंको के कार्पोरेट ऑफिसेस इत्यादि के Data warehouse centre से अब डाटा/ विभिन्न जानकारियों की उपलब्धता सम्भव रहती है। अत: मै अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ मौजूद विभिन्न बैंको द्वारा अपने कार्पोरेट कार्यालय स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने हेतु विचार कर निर्णय लिया जाये जो एस.एल.बी.सी. को समय से समीचीन डाटा उपलब्ध कराने की स्थिति में हो। निश्चय ही यह प्रक्रिया हम सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती है।

4. इसी क्रम में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही विभिन्न प्राथमिकताएँ तय की गयी है। कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियाँ जिसमें बैंको का योगदान रहता है, पर विशेष जोर दिया गया है जैसे कि,

   - सभी लघु एवं सीमांत किसानो के फसली ऋण की माफी,
   - सभी लघु एवं सीमांत कृषको को ब्याज मुक्त फसली ऋण की उपलब्धता,
   - बैंको और चीनी मिल के समंवय से गन्ना किसानो की बकाया राशि का भुगतान,
   - 2022 तक किसानो की कृषि आमदनी को दो गुना करने हेतु रोडमैप तैयार किया जाना, इत्यादि

इन प्राथमिकताओं की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा बैंको से विभिन्न जानकारी की अपेक्षा की जा रही है। मै यहाँ मौजूद सभी बैंकर्स साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया इस प्रयास में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि वाँछित सूचना का प्रेषण राज्य सरकार को निर्धारित समय पर किया जा सके।

5. विभिन्न केन्द्र व राज्य सरकार प्रायोजित योजनाओं के क्रियांवयन एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा इस बैठक में पथृक एजेण्डा बिन्दु के द्वारा प्रस्तावित है। प्रदेश में विमुद्रीकरण एवं विधान सभा चुनाव के मद्देनजर विगत कुछ महीनों में बैंककर्मियों तथा सरकारी अधिकारियों की अतिव्यस्तता रही जिस कारण इन योजनाओं की प्रगति में आशातीत उपलब्धियाँ परिलक्षित नही हो पायीं है। तथापि बैंकर्स द्वारा समंवित प्रयास करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मै अनुरोध दोहराना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष की बची हुई अवधि में सभी लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रभावी प्रयास किये जाए।

   वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सभी खातो में आधार सीडिंग पर विशेष ध्यान देते हुए 31.03.2017 तक इस कार्य को पूर्ण किये जाने के निर्देश मिले है और बैंकर्स इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में, मै निवेदन करना चाहूँगा कि हम अपनी नीतियों का निर्धारण सरकार की अपेक्षाओं/ प्राथमिकताओं के अनुरूप करना प्रारम्भ करें। इस प्रकार alignment के जरिये सरकारी लक्ष्यों की पूर्ति में हमें आसानी होगी।

6. किसानों के हितों के लिए "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" का प्रभावी क्रियांवयन एवं नियमित समीक्षा विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। उल्लेखनीय है कि योजनांतर्गत सभी ऋणी कृषकों का फसली बीमा अनिवार्यत: किया जाये। इस क्रम में हाल ही मे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एक जनहित याचिका संख्या 26615 वर्ष 2015 के क्रम में आदेश पारित किया गया है जिसके तहत कृषि बीमा योजनाओं के क्रियांवयन में शिथिलता बरतने पर उत्तरदायी बैंको के विरूद्ध कार्यवाही का प्रावधान है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि किसानों के हित हेतु तैयार इस योजना के क्रियांवयन हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें।
7. दिनांक 24.03.2017 को नाबार्ड द्वारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें वार्षिक प्लान का विमोचन किया गया। तदनुसार, प्रदेश की जनपदवार वार्षिक ऋण योजना 2017-18 को तैयार करना तथा प्रत्येक दशा में 31.03.2017 तक लॉच करना अपेक्षित है। इस महत्वपूर्ण वार्षिक गतिविधि हेतु मै सभी स्टेकहोल्डर्स का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही एवं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

अपने स्वागत सम्बोधन के अंत में उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स से इन योजनाओं के सफल क्रियांवयन हेतु पुन: अनुरोध किया एवं एस.एल.बी.सी. से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं व विवरणियों के सही व समय प्रेषण करने की आवश्यकता बतायी।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री अशोक कुमार गर्ग, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभागार में उपस्थित अतिथियों का अभिवादन किया एवं सदन को अवगत कराया कि इस बैठक में पहली बार उन्होंने शिरकत की है और पुन: प्रदेश में प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों एवं सफलताओं हेतु सभी हितधारको के सहयोग की प्रशंसा की। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इसी क्रम में उन्होंने उल्लेख किया कि प्रदेश में आर्थिक विकास की दर पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है जिसमें बढोत्तरी के लिए समग्र प्रयास करना आवश्यक है।

जैसा कि सबको विदित है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था विगत वर्षों से एक अनिश्चित्तता के दौर से गुजर रही है। फिर भी IMF का यह आंकलन है कि वर्ष 2017 में विश्व के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि 3.4% के स्तर तक हो जायेगी। अग्रिम अर्थव्यवस्था में बढ़ोत्तरी 1.6% से 1.9% तक एवं अर्थव्यवस्था में बढ़ोत्तरी 4.1% से 4.5% तक होने के आसार है।

प्रदेश में उभरती अर्थव्यवस्था जिसका वर्ष 2016 में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था, वर्ष 2017 में उसमें वृद्धि की सम्भावना है।

विकास की समस्त सम्भावनाओं के बीच में भारत विश्व आर्थिक परिदृश्य में एक ज्वलंत बिन्दु के रूप में उभर रहा है।

भारत की मैक्रो इकॉनामिक स्थिरता आर्थिक सफलता की अनवरत रूप से नींव बना रही हैं। सीपीआई मुद्रास्फीति की दर जो जुलाई 2016 में 6% थी वह घटकर दिसम्बर 2016 में 3.4% रह गयी।

परंतु जनवरी 2017 के 3.17% के सापेक्ष फरवरी 2017 में मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़कर 3.61% हो गयी और इसके भारतीय रिजर्व बैंक के आवश्यक औसत 2% से 6% के मध्य रहने की सम्भावना है। अनुकूल मूल्य विकास, विवेकपूर्ण मैक्रो - इकोनामिक प्रबन्धक को दर्शाते है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च स्तर का कृषि उत्पादन होता है। भारत का चालू खाता घाटा 2016-17 के प्रथम तीन तिमाही में जीडीपी के 1% से घट कर जीडीपी के 0.7% पर हो गया है।

पिछले साल की पहली छमाही में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) रू 1,07,000 करोड़ से बढ़कर 2016-17 की द्वितीय छमाही में रू 1,45,000/- करोड़ हो गया है।

यह वैश्विक एफ.डी.आई. प्रवाह में 5% की कमी के बावजूद 36% की वृद्धि दर्शाता है। इसी क्रम में, पिछले दो वर्षों में प्राप्त हुए वैश्विक रिपोर्ट एवं मूल्यांकन से यह परिलक्षित होता है कि भारत निर्बाध रूप से अपनी नीतियों, प्रथाओं एवं आर्थिक प्रोफाइल में प्रगति कर रहा है। विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत व्यवसायिक रिपोर्ट UNCTAD के विश्व निवेश रिपोर्ट 2016, 2015-16 के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट एवं 2016-17 के विश्व आर्थिक मंच एवं अन्य अनेकों रिपोर्टस द्वारा यह परिलक्षित हो रहा है। वर्तमान में भारत विश्व का छठा बड़ा उत्पादक देश बन गया है।

पिछले एक वर्ष में, हमारे देश ने ऐतिहासिक और प्रभावी आर्थिक सुधारों और नीति बनाने की प्रक्रिया देखी है। वास्तव में, भारत परिवर्तनकारी सुधारों के उपक्रम वाली कई अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। इसी क्रम में दो नीतिगत पहल अर्थात जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक का मार्ग और इसके कार्यांवयन की प्रगति और उच्च मूल्य के बैंक नोटस का विमुद्रीकरण किया गया। जीएसटी की शुरूआत प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष कर के सरलीकरण और अधिक पारदर्शिता के लिए होगी।

वर्ष 2016 के दौरान भारतीय कृषि व्यवस्था ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता और लचीलापन दिखाया है। खरीफ और रबी मौसम की कुल जोत क्षेत्रफल पिछले वर्ष की तुलना में उच्च स्तर पर है। बेहतर मानसून के साथ कृषि क्षेत्र में वृद्धि वर्तमान वर्ष में 4.1% के स्तर पर रहने की सम्भावना है।

अच्छी फसल के लिए किसानों को समय से अपेक्षित वित्तपोषण किया जाना चाहिए। 2017-18 वित्तीय वर्ष हेतु कृषि ऋण का लक्ष्य रू. 10.00 लाख करोड़ के रिकार्ड स्तर पर तय किया गया है। बुआई के साथ, किसानों को प्राकृतिक आपदा के विरूद्ध सुरक्षा का अहसास होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत इसी दिशा में उठाया गया एक अहम कदम हैं। इस योजना के अंतर्गत फसली क्षेत्र का कवरेज 2016-17 में जो 30% था वह बढ़कर 2017-18 में 40% तक सम्भावित और वर्ष 2018-19 में इसके 50% तक रहने की सम्भावना है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के बजट का प्रावधान जो रू 5500 करोड़ था, वह बढ़कर रू. 13240 करोड़ के संशोधित अनुमानित व्यय के स्तर पर कर दिया गया है जिससे बकाया दावों का निस्तारण किया जा सके। खरीफ़ 2015 के लिए इस योजना के अंतर्गत बीमा राशि रू 69000 करोड़ के सापेक्ष दुगुनी हो कर रू 141625 करोड़ हो गयी है।

8 नवम्बर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, द्वारा रू. 500/- एवं रू. 1000/- के भारतीय मुद्रा के विमुद्रीकरण की घोषणा की गयी। इस दौरान ग्राहकों की सुविधा के लिए पूरे देश एवं प्रदेश में बैंको द्वारा अभूतपूर्व कार्य किया गया, जिसके लिए समस्त बैंककर्मी बधाई के पात्र है।

उच्च मूल्य के बैंक नोट्स के विमुद्रीकरण का कार्य वर्तमान सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध किये जा रहे उपायों की कड़ी में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसी क्रम में नकदी रहित लेन देन व डिजिटाइजेशन के प्रयोग पर सरकार द्वारा बैंको के सहयोग से समग्र प्रयास किये जा रहे है।

पुर्नमुद्रीकरण की प्रक्रिया में पुन: गतिशीलता आ गयी है और जल्दी ही यह सामान्य स्तर पर पहुँचेगी। विमुद्रीकरण का प्रभाव आने वाले वर्षों में भी रहेगा। आई.एम.एफ. द्वारा वर्ष 2016 में भारत के जीडीपी के बारे में की गयी भविष्यवाणी के आधार पर अनुमानित वृद्धि, वर्ष 2017 में 7.2% और वर्ष 2018 में 7.7% रहने की सम्भावना है। यद्यपि विश्व बैंक, जो अपेक्षाकृत अधिक आशावादी है, ने जीडीपी में 2016-17 में 7% एवं 2017-18 में 7.6% तथा वर्ष 2018-19 में 7.8% वृद्धि का अनुमान लगाया है। हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हमारी नीतियों पर आधारित है और आगे भी आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। बैंकिंग प्रणाली में विमुद्रीकरण के कारण जो अधिशेष तरलता इकट्ठा हुई है, उससे उधार लेने की लागत भी कम होगी और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

इस "डिजिटल- युग" मे "आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS)" के द्वारा मुद्रा प्राप्त की जा रही है और वर्तमान में "भीम ऐप" के माध्यम से भी भुगतान की शुरूआत की गयी है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने दिनांक 25.12.2016 से दो योजनाएँ शुरू की है - "लकी ग्राहक योजना (LGY)- जो ग्राहको के लिए है, और डिजिधन व्यापार योजना (DVY)- जो व्यापारियों के लिए है। इस योजना में उन ग्राहकों एवं व्यापारियों के लिए नकद पुरस्कार की व्यवस्था भी की जानी है जो अपने खर्चों के लिए डिजिटल भुगतान का माध्यम अपना रहे है। पूरे भारत में इस तरह के "डिजिधन मेले" आयोजित किए जा रहे है। उत्तर प्रदेश में दो डिजिधन मेलों का आयोजन अब तक किया जा चुका है जिनमें लोगों का तथा अन्य हितधारकों की प्रतिक्रिया काफी प्रेरक एवं उत्साहजनक रही। हाँलाकि डिजिटल भुगतान की तकनीक अपनाने से आर्थिक क्षेत्र को बहुत से लाभ होते है परंतु इसके सुरक्षा पहलुओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

राज्य के महत्वपूर्ण संकेतक- व्यवसाय वृद्धि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की स्थिति एवं इसके उपक्षेत्र तथा शाखा प्रसार योजना आदि

दिनांक 31.12.2016 को कुल जमा और अग्रिम क्रमश: रू. 879889.47 एवं रू. 375476.63 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है। कुल जमा राशि में पिछली सितम्बर 2016 तिमाही की तुलना में कुल रू 115766.83 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह YOY 24.76% की वृद्धि दर्शाता है। यद्यपि कुल अग्रिम में रू. 22064.90 करोड़ का ह्वास हुआ है जो सितम्बर 2016 की पिछली तिमाही से YOY (-)4.08% की नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करती है जिसका मुख्य कारण विमुद्रीकरण ही है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि एवं कमजोर वर्गो को प्रदत्त ऋण का बकाया स्तर क्रमश: 64.53%; 31.09% एवं 21.42% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के मानक स्तर क्रमश: 40%; 18% एवं 10% से पिछली तिमाही से अधिकतम स्तर पर है जो एक संतोषप्रद स्थिति है। बैंको द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयास सराहनीय है। इस तिमाही के दौरान प्रदेश में विभिन्न बैंको द्वारा -85- नयी बैंक शाखाएँ खोली गयी जिससे प्रदेश में कुल बैंक शाखाओं की संख्या -18006- हो गयी है। इस क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 30.12.2015 के दिशा निर्देशों के आधार पर एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) ने समस्त सदस्य बैंको के सहयोग से मार्च 2017 तक कुल -571- नयी ब्रिक व मोर्टार शाखाएँ खोलने का रोडमैप तैयार किया था। इस लक्ष्य के सापेक्ष केवल -38- शाखाएँ ही अभी तक खोली गयी है। इस बड़े अंतर को देखते हुए इस प्रक्रिया में और तेजी लाने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस निम्न प्रदर्शन को अत्यंत गम्भीरता से लिया गया है।

वार्षिक ऋण योजना (ACP) 2016-17 के अंतर्गत प्रदर्शन -

वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के अंतर्गत बैंको द्वारा निर्धारित लक्ष्य रू168397.66 करोड़ के सापेक्ष रू 91766.05 करोड़ का वितरण किया गया है जिससे 54.49% की उपलब्धि हासिल की गयी है जो संतोषजानक नहीं है। यद्यपि इस क्रम उपलब्धि का मुख्य कारण नवम्बर व दिसम्बर 2016 के रबी के पीक सीजन में विमुद्रीकरण के कारण बैंको पर पड़ा भारी कार्य दबाव ही माना जा रहा है। हम सभी स्टेक होल्डर्स से इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा करते है।

प्रदेश में विभिन्न प्रकार की कृषि योजनाओं हेतु परियोजना लागत पूरी तरह से संशोधित हो गयी है इस कारण कृषकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का मार्ग और प्रशस्त हो जायेगा। इसी क्रम में लक्ष्य समूहों को मिलने वाले पर्याप्त क्रेडिट प्रवाह के ससुंगत आंकड़ो का ससमय प्रेषण पर जोर दिया जाना चाहिए तभी ही बैंको द्वारा लक्ष्य समूहों को मिलने वाले वास्तविक योगदान का आंकलन हो पायेगा।

समीक्षा अवधि के दौरान, वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु "वार्षिक ऋण योजना (ACP)" की तैयारी प्रारम्भ कर दी गयी है और नाबार्ड के पीएलपी के आधार पर आवश्यक दिशा निर्देश एवं परिव्यय जारी कर दिए गये है। हमे विश्वास है कि बैंक वार्षिक ऋण योजना की तैयारी में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और प्रदेश में 31 मार्च 2017 तक समस्त जनपदों में ऋण योजना लॉच कर दी जायेगी।

वित्तीय समावेशन योजना (FIP)- विभिन्न योजनाएँ और पहल -

वित्तीय समावेशन बैंको के लिए आज एक राष्ट्रीय पहल एवं व्यापार का एक अवसर भी है। इसीलिए हमें विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं के सफल कार्यांवयन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना और अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.); प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) और अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) आदि के अंतर्गत बैंको की उपलब्धियाँ outstanding रही है और इसे विभिन्न स्तरों पर मान्यता प्राप्त हुई है और सराहा भी गया है। यद्यपि इन खातों से सम्बन्धित रूपे कार्ड और पिन वितरण एवं इनके सक्रियकरण में और अधिक गतिशीलता लाने की आवश्यकता है। इसी के साथ ओवरड्राफ्ट सुविधा की संस्तुति इन खातों में निरंतर परिचालन, बीमा दावों के निस्तारण की प्रक्रिया, "आधार सक्षम भुगतान प्रणाली" में हुआ लेनदेन, बैंक मित्रों का प्रशिक्षण आदि में भी अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है। इन सभी पैरामीटर में हुई प्रगति की निरंतर समीक्षा अंतराल पर होने वाली वीडियों कांफ्रेंस मीटिंग के माध्यम से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगातार की जा रही है।

इसी क्रम में उन्होंने निम्न दो प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता पर जोर दिया -
31 मार्च 2017 तक सभी सक्रिय बचत खातों में आधार और मोबाइल नं. की सीडिंग और बैंक मित्रो की कार्यप्रणाली को और अधिक असरदायक बनाना जिससे बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। संयोग से प्रदेश में पी.एम.जे.डी.वाई खातों में आधार सीडिंग के नवीनतम आँकड़ो का प्रतिशत 54.19% है जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) में प्राप्त नवीन प्रगति दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश को योजनांतर्गत अधिकतम सदस्यता संख्या (5.66 लाख) में पैन इण्डिया प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जो एक बार पुन: इस सबसे बड़े राज्य के लिए उपलब्धियों में एक और सफलता प्रदर्शित करती है।

वित्तीय साक्षरता एवं क्रेडिट परामर्श के अंतर्गत वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न दिशा- निर्देशों उदाहरणार्थ स्कूल बैंक चैम्प कार्यक्रम, जन धन शिक्षा, वित्तीय साक्षरता परामर्श केन्द्रों का कौशल विकास केन्द्रों के साथ मैपिंग आदि का वृहद रूप में अनुपालन इस प्रकार इन विभिन्न वित्तीय साक्षरता परामर्श केन्द्रो द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प लगाकर इन योजनाओं का व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है।

<u>किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना:</u> राज्य द्वारा उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष की तृतीय तिमाही में बैंको द्वारा नवीनीकरण एवं नये जारी कार्डो से निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 35.00 लाख के सापेक्ष कुल 43.92 लाख किसानों को कवर किया गया। इस कुल उपलब्धि में के.सी.सी. कार्डों का नवीनीकरण लगभग 31.09 लाख और लगभग 12.82 लाख मामलों में नये कार्ड जारी किये गये है।

प्रदेश में खरीफ 2016 सत्र से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है। प्रदेश में बीमा कवरेज के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. और आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. को चिन्हित किया गया है। इस योजना की प्रगति की निरंतर समीक्षा हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा साप्ताहिक वी.सी. मीटिंग की जा रही है जिसमें एस.एल.बी.सी. की निरंतर सहभागिता रहती है इस मीटिंग में चर्चा के मुख्य बिन्दु - आँकड़ो की अपलोडिंग, बैंको द्वारा किसानों की प्रीमियम रसीद जारी करना और सम्बन्धित बीमा कम्पनियों द्वारा दावों का निस्तारण है।

एस.एल.बी.सी. द्वारा इन सूचनाओं एवं योजनाओं का सम्पूर्ण विवरण एक फोलियों के माध्यम से तैयार किया जाना है। इन फोलियों की बैंकवार प्रिंटिंग हेतु योजना तैयार की जा रही है जिसके लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) :

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (ग्रामीण बैंको सहित) का दिसम्बर 2016 में ऋण जमा अनुपात का स्तर 42.67% है जो सितम्बर 2016 के स्तर 52.03% से 9.36% कम हो गया है। ऋण जमा अनुपात में कमी का मुख्य कारण विमुद्रीकरण का प्रभाव तो है ही साथ ही साथ विपरित प्राकृतिक हालात जैसे सूखा एवं अन्य प्राकृतिक आपदायें जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आये, तथा उधारकर्ताओं द्वारा स्वीकृत बैंक ऋणों की पूरी लिमिट का लाभ न लेना और बैंक ऋणों की वसूली भी प्रमुख है।

अब समय की आवश्यकता है कि प्रदेश में ऋण जमा अनुपात का स्तर बढ़ा कर राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाये जिसके लिए समग्र प्रयास करने की जरूरत है।

लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को अग्रिम - पी.एम.एम.वाई./स्टैण्ड अप इण्डिया कार्यक्रम का कार्यांवयन:

देश में एम.एस.एम.ई. सेक्टर को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु भारत सरकार द्वारा इस प्रमुख योजना की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

पिछले वित्तीय वर्ष में पी.एम.एम.वाई. के अंतर्गत प्रदेश की उपलब्धि का स्तर 80.97% ही रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू. 10313.70 करोड़ का लक्ष्य निर्धारण किया गया है जिसके सापेक्ष प्रदेश ने जब तक रू 7114.69 करोड़ (68.13%) की उपलब्धि हासिल की है जिसे बढ़ाने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है।

स्टैण्ड अप इण्डिया कार्यक्रम की शुरूआत एस.सी./एस.टी. और महिला उद्यमियों के हितों के लिए की गयी है। इस योजना के अंतर्गत रू 10 लाख से रू 1 करोड़ तक के ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए ऋण देने का प्रावधान किया गया है। इस योजनांतर्गत बैंको द्वारा क्रमश: -2596- एवं -1821- मामलो में ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया गया है और जिसमें क्रमश: रू. 508.35 करोड़ एवं रू. 231.76 करोड़ मामलों में ऋण स्वीकृत व वितरित किये गये है। इस योजना की उपलब्धियों को परिलक्षित करने हेतु बैंको द्वारा "स्टैण्ड अप मित्र" पोर्टल पर आँकड़ो की अपलोडिंग करने का प्रावधान किया गया है।

वसूली - कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंक ऋणों की समग्र वसूली क्रमश: 62.34% एवं 62.51% रही है जो पिछले वर्ष के आँकड़ो से मामूली गिरावट प्रदर्शित करती है।

दिसम्बर 2016 तक लगभग -828625- आर सी जिनमें निहित धनराशि रू. 5116.74 करोड़ है प्रदेश के जिला प्राधिकारी के पास लम्बित है। दिसम्बर 2016 तक के तृतीय तिमाही तक आर सी फाइल्ड खातो में वसूली का स्तर रू.361.33 करोड़ तक ही है।

इस कार्य में राज्य सरकार द्वारा भरपूर सहयोग मिल रहा है और इस हेतु समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रत्येक जिले के -50- शीर्ष आर सी खाता धारकों को वसूली में सहयोग हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये है। बैंको को इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। एक बार पुन: बैंकर्स का आह्वान करते हुए उन्होंने राज्य सरकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करने एवं इनके द्वारा की जाने वाली बैठकों में ससमय सहभागिता करने हेतु निवेदन किया एवं उनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य प्रणाली बनाने पर बल दिया।

इसी के साथ सभी उपस्थित सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर सबका धन्यवाद ज्ञापित किया।

डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला -

- नोटबन्दी के समय में उन्होंने बैंकर्स द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उनकी प्रशंसा की और आगे आने वाले समय में उन्होंने प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।
- उ.प्र. सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने वर्तमान समय में प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए फसली ऋण माफी योजना पर कार्य करने हेतु सभी बैंकर्स के सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया और इसे वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती बताया। इसी क्रम में उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि भविष्य में किसानों को दिए जाने वाले फसली ऋणों पर पर ब्याज न लिया जाये। सदन को यह भी अवगत कराया कि आसाम व दक्षिण राज्यों में भी यह योजना लागू है। इस योजना का उल्लेख, लोक कल्याण संकल्प पत्र में भी निहित है।
- शाखा विस्तार नीति का उल्लेख करते हुए प्रदेश में -25000- बैंक शाखा खोलने हेतु रणनीति बनाने की आवश्यकता बताई और शाखा विस्तार हेतु एक उपसमिति बनाने पर जोर दिया जिसकी निगरानी में शाखा खोलने सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की जा सके।
- वर्तमान समय में Digitization को बढ़ावा देना है जिससे अधिक से अधिक कैशलेस ट्रांसेक्शन हो सके। लखनऊ क्षेत्र को Digitization के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण व High Digitization Centre बताया।
- आम जन के बीच Digitization को बढ़ावा देने हेतु कैम्प लगा कर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई।
- प्रदेश में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत उपलब्धि का प्रतिशत मात्र 54% ही है जो प्रगति की दृष्टि से संतोषजनक नहीं है, इसे बढ़ाने हेतु प्रयास करना होगा।
- मुद्रा योजना के अंतर्गत भी प्रदेश की प्रगति अत्यंत निराशाजनक है जिसे बढ़ाने हेतु सुनियोजित ढ़ंग से कार्य करना होगा।

श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार प्रकाश डाला-

- देश व प्रदेश में विमुद्रीकरण का दौर अब समाप्त हो गया है और सामान्य जन को होने वाली परेशानियाँ भी अब धीरे- धीरे कम होने लगी है।
- ऋण - जमा अनुपात का स्तर पिछली तिमाही से कम हुआ है जो 42.6% के स्तर पर ही है। यह देश के राष्ट्रीय स्तर 70% से अभी भी बहुत ही कम है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर लाने हेतु सभी को समग्र प्रयास करना होगा।
- बैंक मित्रों की कार्यप्रणाली की सतत निगरानी आवश्यक है। आज के परिवेश में बी.सी. की भूमिका बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो गयी है। बी.सी. केन्द्र पर खुलने वाले बचत खातों के सक्रियकरण में कुछ समय लग जाता है जिससे खाता धारको को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैंक शाखाओं द्वारा बीसी केन्द्र पर खुले खातों के के.वाई.सी. दस्तावेजों की समय से अपलोडिंग की जाये जिससे आम- जन को लेन देन की मुश्किलों का सामना न करना पड़े।
- अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत सभी बैंको को निर्देशित किया गया है कि वे डी.एल.आर.सी. व डी.सी.सी. की बैठकों का वार्षिक कैलेण्डर भारतीय रिजर्व बैंक को अवश्य प्रेषित कर दें और इनसे सम्बन्धित सुसंगत आँकड़ो का समय से प्रेषण भी करें।
- सदन में उपस्थित समस्त बैंकर्स व स्टेक होल्डर्स को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डी.सी.सी. व डी.एल.आर.सी. की मीटिंग में स्थानीय सांसद/ जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये।

- एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी बैंको के सहयोग से डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने हेतु कैम्प लगा कर प्रचार- प्रसार किया जाये।

एक बार पुन: बैंकर्स को सुसंगत आँकड़ो के ससमय प्रेषण की महत्ता बताते हुए उन्होंने Sectoral NPA का अलग से विवरण तैयार करने का सुझाव दिया।

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय ने अपने सम्बोधन में निम्नानुसार अपने विचार व्यक्त किये -

- सर्वप्रथम प्रदेश में डिमोनेटाइजेशन के अंतर्गत बैंकर्स द्वारा किये गये कार्यों की सराहना करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। सदन में उपस्थित समस्त बैंकर्स को सरकारी योजनाओं के सफल क्रियांवयन के लिए उ.प्र. सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया।
- समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों को जिले में डी.एल.आर.सी व बी.एल.बी.सी की होने वाली बैठको के सफल क्रियांवयन हेतु सभी स्टेक होल्डर्स की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए बैठक को सफल बनाये।
- प्रदेश में शाखा विस्तार की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सदन को अवगत कराया कि इस विषय पर शाखा विस्तार हेतु एक उपसमिति का गठन किया जाये और उपसमिति का संयोजक बैंक इस विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें। इस कार्य हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की एक विशेष बैठक आयोजित करने की आवश्यकता बताई जिसके अंतर्गत शाखा खोलने की सम्भावनाओं पर चर्चा की जा सके। अगले -5- वर्षों में 25000 बैंक शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- प्रदेश में मुद्रा ऋण योजना की प्रगति की चर्चा करते हुए बैंकर्स से अनुरोध किया कि कैम्प लगाये जाये। इस हेतु राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा।
- स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के तहत प्रचार प्रसार कर योजना का लाभ आम जन को पहुँचाने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में ऋण वसूली में -50- बड़े बकायेदारों से की गयी कार्यवाही के लिए राज्य सरकार के सहयोग को पुन: दोहराया गया।

श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार प्रकाश डाला-

- प्रदेश के लिए 2017-18 वित्तीय वर्ष हेतु ऋण आवश्यकता लगभग 1.68 लाख करोड़ है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 24% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। इसी के साथ कृषि ऋण में 30% की वृद्धि के साथ लगभग रू 1.47 लाख करोड़ की ऋण आवश्यकता है जिससे प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकता है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने प्रदेश में इस वर्ष लगभग 1.50 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजीटाइजेशन का प्रचार प्रसार तथा डिजीटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता तथा अन्य बैंकिंग सुविधाओं के प्रचार- प्रसार हेतु लगभग -425-बैंक सखी नियुक्ति की गयी है जिनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना सभी स्तर पर की जा रही है।
- प्रदेश में 130 Farmer's Producers Organization की संरचना की गयी है जिसके माध्यम से कृषि उत्पादन करने वाले व्यक्तियों का एक संगठन बनाया गया है जिसके अंतर्गत कार्यरत व्यक्तियों को उनके उत्पादों के उत्पादन से लेकर उनकी बिक्री करने तक प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने कुशीनगर के Producers Banana Company के बारे में भी बताया जिसका टर्न ओवर लगभग 86 लाख है। इसी क्रम में शहद उत्पादक कम्पनी की भी चर्चा की।

- इसी क्रम में उन्होंने "विश्व जल दिवस" पर जल संरक्षण हेतु मेगा अभियान चलाने का संदेश दिया। इस कार्य हेतु लगभग प्रदेश में लगभग 6500 गाँव चयनित किये गये है जहाँ "जल दूत" के रूप में कार्य करने का प्रावधान किया गया है। जिसके अंतर्गत जल संरक्षण की महत्ता बताई जायेगा।

अपने सम्बोधन के अंत में उन्होंने पुन: कृषकों के हितों के लिए नाबार्ड द्वारा हर सम्भव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की गयी -

<u>कार्यसूची संख्या - 1</u>

<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 15.12.2016 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :</u>

विगत बैठक दिनांक 15.12.2016 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 06.03.2017 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

<u>कार्यसूची संख्या - 2</u>

<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 15.12.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट</u>

1. <u>प्रदेश के सभी जनपदों में बैंको द्वारा आर - सेटी संस्थानो की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आवंटन :</u>

सदन में विषयक चर्चा करते हुए अवगत कराया गया कि भूमि आवंटन, भूमि अधिग्रहण, समझौता ज्ञापन का निष्पादन तथा लीज डीज का निष्पादन आदि कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक द्वारा व एस.एल.बी.सी. की उपसमिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
सदन को इस सन्दर्भ में यह भी अवगत कराया गया कि प्रदेश के -3- जनपदों में नयी आर- सेटी की स्थापना हेतु सम्बन्धित बैंको एवं ग्रामीण विकास विभाग, उ.प्र. द्वारा ग्राम्य विकास विभाग, भारत सरकार के साथ प्रकरण पर कार्य किया जा रहा है। महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ.प्र. ने इस प्रकरण पर पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

2. <u>प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत जारी रूपे कार्ड के वितरण एवं सक्रियकरण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में आधार संख्या की सीडिंग करना :</u>

सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत खुले सभी पात्र खातों में जारी रूपे कार्ड के वितरण एवं उनके एक्टिवेशन हेतु सभी बैंको द्वारा कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं जिसके अंतर्गत कार्ड वितरण एवं एक्टिवेशन हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। इस सन्दर्भ मे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन कैम्पों में आये खाताधारकों को एवं अन्य जन को आधार सीडिंग हेतु जागरूक करने की दिशा में कार्य करने हेतु सुझाव दिया। इन कैम्प्स में बी.सी. की सहायता से उपरोक्त सभी कार्य सम्पादित किये जा रहे है। साथ ही साथ मनरेगा श्रमिकों के खातों में भी आधार सीडिंग का कार्य कैम्पेन मोड में किया जा रहा है। समस्त बैंको से यह भी अनुरोध किया गया कि पी.एम.जे.डी.वाई के अंतर्गत खुले सभी शून्य (Zero) धनराशि वाले खातों को या तो बन्द कर दिया जाये या उनमें धनराशि जमा करायी जाये।

3. <u>5000 एवं अधिक की जनसंख्या वाले ऐसे गाँव जहाँ कोई भी बैंक शाखा नहीं है, वहाँ बैंको द्वारा ब्रिक एवं मोर्टार शाखा खोलने हेतु रोडमैप:</u>

सदन में इस बिन्दु पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान सदन में समस्त बैंको से बताया गया कि सभी बैंको द्वारा चिन्हित केन्द्रों पर बैंक शाखा खोलने की प्रक्रिया पर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में केनरा बैंक के प्रतिनिधि ने गाँवों में कनेक्टिवटी व बिजली की समस्या का उल्लेख किया, जिस पर प्रदेश सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग हेतु आश्वासन किया गया।

4. <u>बैंक मित्रों की स्थिति:</u>

प्रदेश में वित्तीय साक्षरता के प्रचार- प्रसार हेतु समस्त बैंको द्वारा बैंक मित्रों (Business Correspondents) की नियुक्ति कर उनकी सेवायें ली जा रही हैं। उनकी कार्य प्रणाली पर सदन में चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान सदन को बताया गया कि विगत दिनों में वित्त मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें लगभग 10% बी,सी. Inactive पाये गये। अत: उन्हें सक्रिय किया जाये या उन्हें replace किया जाये जिससे वें अपने कार्यों का उचित निष्पादन कर सकें। इसी क्रम में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त बैंको को Motivate & Sensitize करते हुए उन्हें बैंक मित्रों के कार्य की महत्ता को बताते हुए उन्हें उनके आय के स्तर को बढ़ाने का हर सम्भव प्रयास करने के लिए भी कहा और यह भी बताया कि उन्हें बैंकिंग कार्यों में शामिल भी किया जाये।

<u>5. बैंको द्वारा LBS MIS- I, II और III विवरणी का बैंको द्वारा प्रेषण :</u>

एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन में उपस्थित समस्त सम्बद्ध को इन विवरणियों के प्रेषण की महत्ता बताते हुए इनके सुसंगत आँकड़ो के ससमय प्रेषण हेतु अनुरोध दोहराया गया।

<u>कार्यसूची संख्या - 3</u>

<u>वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का क्रियांवयन</u>

<u>क) प्रधानमंत्री जन - धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)</u>

सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा लागू इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना के अंतर्गत सभी बैंको द्वारा अभी भी खाते खोलना, उनमें पात्र खातों में रूपे कार्ड जारी करना, तथा वितरण और एक्टिवेशन का कार्य सक्रिय रूप से किया जा रहा है।

दिनांक 15.02.2017 तक लगभग 4.32 करोड़ नये खाते बैंको द्वारा खोले गये और लगभग 3.42 करोड़ रूपे डेबिट कार्ड (79.40%) समस्त बैंको द्वारा प्रदेश में जारी किये गये है।

इसी क्रम में प्रदेश में कार्यरत बैंक मित्रों (Business Correspondents) की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की गयी। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में लगभग 10% बैंक मित्र निष्क्रिय है, जिनके स्थान पर नये बैंक मित्रों की नियुक्ति की जानी है। इसी के साथ उनका प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी अग्रणी जिला प्रबन्धको द्वारा सभी अग्रणी जनपदों में डी.सी.सी. बैठक दिनांक 06.03.2017 को आयोजित की गयी। डिजीटाइजेशन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और गाजियाबाद में -4- डिजीधन मेलों का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत लोगों को डिजीटाइजेशन के बारे में जागरूक किया गया।

<u>ख) सुरक्षा योजनाओं का क्रियांवयन -</u>

भारत सरकार द्वारा उदघोषित दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" व "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" एवं एक पेंशन योजना "अटल पेंशन योजना" के अंतर्गत प्रदेश में

बैंको द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त क्लेम्स की स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। इसी क्रम में "अटल पेंशन योजना" की प्रगति पर भी विचार विमर्श किया गया तथा उत्तर प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में सर्वोच्च स्थान पर रहने पर सदन द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया।

ग) स्कूल बैंक चैम्प्स कार्यक्रम -

सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल के विद्यार्थियों के मध्य वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय जागरूकता का प्रसार करने हेतु भारतीय बैंक संघ ने इस कार्यक्रम की शुरूआत की थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को कम से कम -1- स्कूल को गोद लेना है और उस विद्यालय के विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना है। अभी तक लगभग -9644- विद्यालयों एवं 4.38 लाख विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता से जागरूक किया जा चुका है।

घ) कौशल विकास केन्द्रों की वित्तीय साक्षरता केन्द्र से मैपिंग -

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर एस.एल.बी.सी. द्वारा कौशल विकास केन्द्रों को प्रदेश के अग्रणी जिलों में कार्यरत वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के साथ मैप कर कार्य योजना तैयार की गयी है। इन केन्द्रों पर वित्तीय साक्षरता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये है।

च) जन- धन शिक्षा कार्यक्रम:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में बैंको द्वारा कुल -100- विद्यालयों को अंगीकृत कर वित्तीय साक्षरता से उन स्कूल के विद्यार्थियों को जागरूक करना है। अभी तक समस्त बैंको द्वारा प्रदेश में कुल -7814- स्कूलो को अंगीकृत कर कुल -5947- प्रशिक्षण सेशन में कुल -257207- प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

छ) केन्द्रीय सिविल पेंशनर के खातों में आधार सीडिंग:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंको में कैम्प लगाकर उनके सभी केन्द्रीय सिविल पेंशनर के खातों में आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित किया जाये। विगत दिनों पेंशन व समाजिक सुरक्षा विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रदेश में लखनऊ आदि कुछ जनपदों में इसका निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा इस कार्य की प्रशंसा भी की गयी। सदन को अवगत कराया गया कि बैंको द्वारा अभी तक लगभग 89.45% पेंशनर के खातों में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

ज) वित्तीय समावेशन के अन्य मुद्दे:

यहाँ यह कहना उचित होगा कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की गहन समीक्षा मीटिंग व वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंको से निरंतर की जा रही है।

कार्यसूची संख्या - 4
(हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर क्रेडिट काई योजना का क्रियांवयन)

बुनकर सेक्टर के Revival , Reforms & Restructuring करने हेतु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से संशोधित दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है जो सभी सम्बद्ध को प्रेषित कर दिये गये है। इसके अनुसार यह क्षेत्र अब "मुद्रा योजना": के अंतर्गत शामिल किया जायेगा। इसी क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश में -7- हथकरघा क्लस्टर चिन्हित किये गये हैं जिनके अंतर्गत कार्यशील -14140- हथकरघा बुनकरों को -12- चिन्हित बैंको के सहयोग से वित्त पोषण किया जा रहा है। इस लक्ष्य को 3 वर्ष के अन्दर पूरा करना है।

इस कार्यक्रम के क्रियांवयन एवं मूल्यांकन हेतु एस.एल.बी.सी. की एक उप समिति सिंडीकेट बैंक के समंवयन मे गठित है जिसकी नियमित बैठके आयोजित कर प्रगति समीक्षा की जाती है।

कार्यसूची संख्या – 5
(वार्षिक ऋण योजना 2016-17 की समीक्षा)

वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के अंतर्गत दिसम्बर' 2016 तक की बैंकवार/ सेक्टरवार प्रगति से सदन को अवगत कराया गया जिसके अनुसार वितीय वर्ष की दिसम्बर 2016 तिमाही तक वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का प्रतिशत 54.49% रहा है। सेक्टरवार कृषि – 54.64%; लघु उद्यम- 71.40% एवं सेवा क्षेत्र- 35.60% की उपलब्धि रही है।

सदन को अवगत कराया गया कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत समीक्षा अवधि में समग्र रूप से ऋण वितरण का प्रतिशत विगत वर्ष के सापेक्ष ₹ 1306.95 करोड़ (01.44%) अधिक हुआ है।

कृषि क्षेत्र एवं लघु उद्यम क्षेत्रों में भी वितरण का प्रतिशत समग्र रूप से विगत अवधि के प्रतिशत से बढ़ा है। इसी क्रम में वाणिज्यिक बैंको जिसमें प्राइवेट क्षेत्र के बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको व को- ऑपरेटिव बैंको की उपलब्धियाँ सदन में प्रस्तुत की गयी जो लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 57.47%; 49.61% एवं 44.87% रहीं।

सदन में उपस्थित समस्त बैंकर्स से यह अनुरोध किया गया कि इस दिशा में समग्र रूप से प्रयास करते हुए वर्तमान वित्त वर्ष में प्रदत्त लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।

चर्चा के दौरान समस्त बैंको से अनुरोध किया गया कि वे अग्रणी जिलों से सम्बन्धित समस्त आँकड़ो के समेकन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप LBS MIS I, II & III का ससमय प्रेषण एस.एल.बी.सी. को करना सुनिश्चित करें।

कार्यसूची संख्या – 6
(ऋण जमा अनुपात)

प्रदेश के कम ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा इसे योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाने बढ़ाने हेतु कार्य करने पर विचार किया गया। बैंको द्वारा प्रेषित आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि दिसम्बर 2015 के सापेक्ष दिसम्बर 2016 में ऋण जमा अनुपात में 12.84% का ह्रास परिलक्षित हुआ है। है। इसी क्रम में प्रदेश में -29- ऐसे जिले हैं जिनका ऋण जमा अनुपात 40% से कम है, उनमें भी ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर चर्चा की गयी। उन बैंको से खास अनुरोध किया गया जिनका ऋण जमा अनुपात 40% से कम है। महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ.प्र. ने सदन में बताया कि नाबार्ड के पी.एल.पी. के आधार पर रोडमैप बनाकर इस दिशा में कार्य करें जिससे मार्च 2017 में यह अनुपात बढ़ सके।

कार्यसूची संख्या – 7
(पूर्वी भारत में हरित क्रांति योजनांतर्गत प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों में इस योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है। इन जनपदों में नाबार्ड द्वारा प्रेषित सब प्लान के अंतर्गत हो रही कार्यवाही की यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा द्वारा गठित एस.एल.बी.सी. की उपसमिति की बैठकों में सघन/विस्तृत समीक्षा की जा रही है। चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि उप समिति की पिछली बैठकों में कृषि, मत्स्य आदि सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण विषयक चर्चा सम्भव नहीं हो पाती जिससे उपसमिति की कार्यवाही का उद्देश्य पूर्ण पूर्ण नहीं हो पाता।

कार्यसूची संख्या - 8

(किसान क्रेडिट कार्ड/ फसली ऋण/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रदेश में कुल 35 लाख के.सी.सी. जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष समीक्षा अवधि तक कुल 43.92 लाख किसानों को इस योजनांतर्गत आच्छादित किया गया है जिनमें कुल 31.09 लाख किसानों के किसान क्रेडिट कार्डस का नवीनीकरण तथा कुल 12.82 लाख नये कार्ड, किसानों को जारी किये गये है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत किसानों का व्यक्तिगत बीमा एवं उनको दिये गये ऋण का बीमा भी किया जाता है। इस व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बैंको द्वारा 100% कवरेज रिपोर्ट की गयी है।

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी नयी "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" खरीफ 2016-17 से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के समस्त दिशा निर्देश व नोटिफाइड फसलों की जनपदवार सूची सभी सम्बद्ध को कृषि निदेशालय द्वारा प्रेषण के पश्चात एस.एल.बी.सी. के माध्यम से प्रेषित किए गये है। इसी क्रम में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप एक फोलियों प्रिंट करने हेतु सभी बैंकर्स को निर्देशित किया गया है जिसका सम्पूर्ण विवरण एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) द्वारा सभी सम्बद्ध को प्रेषित कर दिया गया है। इस फोलियों में पी.एम.एफ.बी.वाई. के सभी नियम एवं निर्देश उल्लिखित होंगे। सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा काटे गये प्रीमियम की रसीद भी कृषकों को इस फोलियों के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में कृषि निदेशक महोदय ने किसानों को मिलने वाली बीमा क्षति पूर्ति धनराशि के भी वितरण का उल्लेख किया। बीमा कम्पनियों से यह अनुरोध भी दोहराया गया कि वे बैंको को उनके शाखावार सूची उपलब्ध करा दें जिससे किसानों के खातों में क्लेम की धनराशि जमा हो सके।

कार्यसूची संख्या - 9

(सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बैंको द्वारा प्रदान किये जा रहे ऋणों की स्थिति पर सदन में चर्चा की गयी। योजना की प्रगति सदन में प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि सिडबी की CGTMSE क्षेत्र में वित्त पोषण कवरेज हेतु लघु उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पूरा वित्त पोषण किया जा रहा है। बैंको को इस क्षेत्र में वित्त पोषण हेतु रू. 1 करोड़ तक Collateral Security न लेने हेतु संशोधित निर्देश जारी किये गये है। सदन को यह भी बताया गया कि इस क्षेत्र में वित्त पोषण के मामले में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा शुभारम्भ किये गये "स्टैण्ड अप इण्डिया" कार्यक्रम की चर्चा की गयी जिसकी प्रगति में सुधार लाने हेतु सघन प्रयास किये जाने का आह्वान किया गया।

इस योजना के क्रियांवयन के सम्बन्ध में श्री अरूप कुमार, महाप्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रमुख, सिडबी, उ.प्र. ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सदन को अवगत कराया कि "स्टैण्ड अप मित्र पोर्टल" के माध्यम से उद्यमिता विकास, वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल इण्डिया पहल की योजनाएँ सुचारू रूप से क्रियांवित की जा रही है। उ.प्र. में समस्त बैंको द्वारा समग्र रूप से प्रयास किये जा रहे हैं।
इसी क्रम में स्टैण्ड अप इण्डिया के विभिन्न पहलूओं की जानकारी हेतु बैंकर्स के प्रशिक्षण के लिए सिडबी द्वारा पहल की जाने की जानकारी भी दी गयी।

इसी सन्दर्भ में यह भी अवगत कराया कि प्रदेश के दूर दराज इलाकों में बड़े ऋण प्रस्ताव की उपलब्धता नहीं मिलती हैं। इसलिए ऐसा सुझाव है कि इन क्षेत्रों के लिए ऋण की न्यूनतम सीमा निर्धारित की जाये और इन क्षेत्रों में लक्ष्यों का निर्धारण शाखावार न कर जनपदवार स्तर पर किया जाये। ऐसा प्रस्ताव भारत सरकार को अवश्य प्रेषित किया जायेगा।

कार्यसूची संख्या – 10

(साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह)

योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 11

(कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वसूली, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते एवं गैर निष्पादक आस्तियाँ)

सदन में योजनांतर्गत प्रगति प्रस्तुत की गयी। इसी क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में बैंको की कुल ऋण वसूली की स्थिति में सुधार परिलक्षित हो रहा है।

सदन में उपस्थित कुछ बैंको द्वारा अवगत कराया गया कि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत वसूली हेतु जिलों के जिलाधिकारी वसूली में बैंकर्स का सहयोग नही कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यसूची संख्या – 12

(अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता)

बैंको द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि प्रदेश के -21- चिन्हित जनपदों में इस समुदाय को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 22.39% वित्त पोषण किया गया जो 15% के निर्धारित मानक के सापेक्ष उत्साहवर्धक है।

कार्यसूची संख्या – 13

(स्वयं सहायता समूह)

बैंको द्वारा स्वयं सहायता समूहों/महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की योजना नाबार्ड एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं/ विभागों यथा राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उ.प्र. भूमि सुधार निगम लि. व यू. पी. डास्प इत्यादि के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश के चयनित -8- जनपदों में एंकर एन.जी.ओ. के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी।

इसी क्रम में सदन को यह बताया गया कि स्वयं सहायता समूह की समीक्षा हेतु एक उपसमिति का गठन किया गया है, जिसकी निरंतर बैठक नाबार्ड द्वारा आयोजित की जाती है जिसमें योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा होती है।

कार्यसूची संख्या – 14

(विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा)

"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – एन.आर.एल.एम."

भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका क्रियांवयन प्रदेश के सभी -75- जनपदों एवं -122- चिन्हित विकास खण्डों में Intensive आधार पर किया जा रहा है। इस योजना की प्रगति सदन में प्रस्तुत की

गयी जिसके अनुसार समीक्षा अवधि के दौरान कुल -6976- स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज किया गया हैं। इस सन्दर्भ में सदन को यह भी अवगत कराया गया कि इसके आँकड़ो को पोर्टल पर अपलोड करना सभी बैंकर्स के लिए अनिवार्य हो गया है। परंतु डाटा अपलोडिंग में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं जिसके निवारण हेतु प्रयास आवश्यक हैं।

"आर- सेटी की स्थापना"

प्रदेश के -75- जिलों में बैंको द्वारा आर- सेटी के स्थापना की गयी हैं। एस.एल.बी.सी. की एक उप समिति पंजाब नेशनल बैंक की संयोजकता में गठित है जिसकी नियमित बैठक की जा रही है और जिसमें योजना की निरंतर समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि आर- सेटी से प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त पोषण करने हेतु वरीयता प्रदान की जाये जिससे वे अपना रोजगार प्रारम्भ कर सकें।

"राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - एन.यू.एल.एम."

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना शहरी वर्ग के लिए है जिसकी नोडल एजेंसी "सूडा" है जो समूहों के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ्यार्थियों को भी वित्त पोषित करती है।

इस योजना के दोनों भाग 'एकल एवं समूह' के लिए नोडल एजेंसी द्वारा प्रेषित प्रगति रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गयी। बैंको से लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध भी किया गया ताकि आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - पी.एम.ई.जी.पी.

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना नोडल एजेंसी - 'के.वी.आई.सी.' के माध्यम से क्रियांवित की जा रही है। इस योजना की प्रगति के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत कराते हुए यह बताया गया कि अभी तक कुल -63- करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसके सापेक्ष 31.03.2017 से पहले वितरण कराने हेतु अनुरोध दोहराया गया। इसी क्रम मे सदन को अवगत कराया गया कि इस योजना के आवेदन पत्र अब ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपलोड किये जाने है जिसे बैंको द्वारा कार्यांवित किया जा रहा हैं। इसी के साथ पिछले वर्ष के मार्जिन मनी की धनराशि को भी क्लेम करने हेतु अनुरोध दोहराया गया।

विशेष संमंवित योजना (एस.सी.पी.)

इस योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं हुई प्रगति पर चर्चा की गयी। सदन को अवगत कराया गया कि समीक्षा अवधि के दौरान कुल -22413- आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये एवं कुल -6738- मामलों में वितरण की कार्यवाही की गयी जो निर्धारित लक्ष्य -1- लाख के सापेक्ष कुल प्राप्त -73107- आवेदन पत्रों के सापेक्ष है।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

प्रदेश सरकार की यह एक महत्त्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विशेष विनिर्माण उद्योगों को विकसित करने हेतु वित्त पोषण किये जाने का प्रावधान हैं। इस योजना के अंतर्गत ब्याज उपादान (Interest Subsidy) की धनराशि प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जाती है। सभी मामलों में ब्याज उपादान राशि प्राप्त करने हेतु बैंको से पुन: अनुरोध किया गया। नोडल विभाग द्वारा यहाँ बताया गया कि ब्याज उपादान की धनराशि प्रेषित कर दी गयी है जिसे प्राप्त करने के लिए सभी बैंक अपने अपने क्लेम्स फार्म्स शीघ्र ही प्रेषित कर दें जिससे वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले धनराशि प्राप्त हो सके।

कामधेनु/ मिनी कामधेनु/ माइक्रो कामधेनु एवं कुक्कुट विकास योजना

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रदेश सरकार की यह एक महत्वाकाँक्षी योजना है जिसकी समीक्षा उ.प्र. सरकार द्वारा भी की जा रही है। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु समस्त बैंको से अनुरोध किया गया। सदन में चर्चा के दौरान नोडल विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि कामधेनु एवं मिनी कामधेनु योजना के अंतर्गत बैंको द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और लक्ष्यों की पूर्ति भी हो गयी है। परंतु माइक्रो माइक्रो कामधेनु योजनांतर्गत लक्ष्य अभी भी पूरे नहीं हुए है और अभी भी -259- का गैप है जिसे पूरा करने का प्रयास करना होगा।

कार्यसूची संख्या – 15
(भारत सरकार की नवीन योजनाएँ)

(क) एग्रीक्लीनिक/ एग्रीबिजनेस केन्द्र –

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कृषि स्नातकों के लिए यह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनांतर्गत प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसके अंतर्गत -235- इकाइयाँ स्वीकृत की गयी है एवं इन सभी इकाइयों में दिसम्बर 2016 तक कुल रू 949.94 लाख की धनराशि वितरित की गयी हैं।

(ख) ग्रामीण भण्डारण हेतु कैपिटल इंवेस्टमेंट – सब्सिडी योजना –

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु यह योजना लागू की गयी है।

कार्यसूची संख्या – 16
(शैक्षिक ऋण)

योजनांतर्गत प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार समीक्षा अवधि के दौरान कुल -3496- मामलों में कुल रू. 98.19 करोड़ की धनराशि वित्त पोषित की गयी।

कार्यसूची संख्या – 17
(बैंको के विरूद्ध अपराधिक घटनाऐं)

चर्चा के दौरान सदन को बताया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की डेरवा शाखा, प्रतापगढ़ के शाखा परिसर की दीवार को दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर 2016 की मध्य रात्रि में तोड़ कर कुछ अज्ञात लुटेरे शाखा परिसर में घुस गये एवं कैश सेफ के ग्रिल गेट को तोड़ने का प्रयास किया परंतु सफल नहीं हो सके। यद्यपि किसी तरह के नकदी धनराशि की क्षति नही हुई हैं। घटना की प्राथमिकी रिपोर्ट जेठवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गयी हैं जिसकी संख्या 0578 दिनांक 13.12.2016 हैं।

इस क्रम में पुलिस विभाग के प्रतिनिधि ने सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए समस्त बैंकर्स को Sensetize करने हेतु सुझाव दिया।

कार्यसूची संख्या – 18
(अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा)

सदन में एक पी आइ एल संख्या 26615 वर्ष 2015 पर विस्तृत चर्चा की गयी जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (RKBY) के उचित कार्यांवयन के सम्बन्ध में दायर की गयी थी। इस इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.01.2017 का उल्लेख

किया गया जिसमें फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु बैंको को निर्देशित किया गया है, जिसके अनुसार इस योजना के क्रियांवयन में किसी भी स्तर से लापरवाही न बरती जाये और किसानों का नुकसान न हो।

सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी चर्चा की गयी। हुडको, लखनऊ के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि शासन स्तर पर इस योजना के विभिन्न मानदण्डों की समीक्षा की जा रही है।

नाबार्ड के प्रतिनिधि ने "कृषक उत्पादक संगठन" (Farmers Producers Organization – FPO's) के क्रिया कलाप एवं इसके संगठन हेतु दिशा- निर्देशों का उल्लेख किया। सदन में इस बात पर भी चर्चा की गयी कि एस.एल.बी.सी. की आगामी बैठकों में इसे एक एजेण्डे के रूप में शामिल किया जाये एवं इन संगठनों के वित्त पोषण हेतु सभी सम्बद्ध को निर्देशित किया जाये।

अंत में श्री ए. के. सिंह, उप महाप्रबन्धक एवं उप अंचल प्रमुख, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, लखनऊ ने धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 27.03.2017 - कार्य बिन्दु (Action Points)

Sr. No	Issue	Status	Required Action
1.	Allotment of minimum 1 Acre of land by the State Govt. to the Banks and setting up of R-SETIs in -3- remaining Districts of the State.	All Lead Banks in the State have so far established -75- RSETIs in the rental buildings/own buildings in the State. The State Govt. has approved allotment of land in respect of -73- Districts so far. In -2- Districts viz. Ghaziabad and Agra, RUDSETIs are already functional. However, in some of the districts where the land was identified/ allotted earlier, certain issues have cropped up subsequently due to which the physical possession, execution of MoU & lease deed and inturn construction of the building etc. could not commence. The district wise issues are being discussed on quarterly basis in the Sub- Committee Meetings under the Convenorship of Punjab National Bank. The detailed position also stands communicated to the Nodal Agency- UPSRLM & SPC, MoRD, GoI for their necessary action & resolution of the issues concerned. Further, MoRD, Govt. of India has issued specific guidelines regarding release of Grant in Aid. In view of the above mentioned facts, it becomes necessary that the RSETIs do complete various stages of formalities required to be made to be eligible for receipt of funds/grant from GoI after allotment of land by the State Govt. -2- Lead Banks have yet to establish RSETIs in their Lead Districts viz. Punjab National Bank (Shamli) and Syndicate Bank (Sambhal & Hapur). It is informed by PNB & Syndicate Banks that necessary approval in this regard is yet to be received from MoRD, GoI, in spite of the regular followup. It is pertinent to mention that UPSRLM conducted a Meeting all major Banks on 30.05.2017 under the chairmanship of Mission Director, UPSRLM, Lucknow. All the issues were discussed at lenghth and the Mission Director has assured of resolution of various issues.	As discussed during the Meetings, the State Govt. is requested to speed up the process for clearance of land allotment in all the Districts where certain issues are reported by the concerned banks and which require the State Govt. intervention. In view of the guidelines issued by MoRD, it becomes all the more necessary that the RSETIs do complete various stages of formalities required to be made for receipt of grant from GoI. All the Lead Banks are also requested to ensure that necessary formalities for construction of the RSETI buildings are completed at the earliest so that RSETIs may start functioning in their own buildings. Both the Lead Banks i.e. PNB & Syndicate Bank are once again requested to follow up the matter with MoRD, GoI for setting up of RSETIs in their selected left out Districts. The State Govt. intervention with MoRD in this regard is also requested to yield the desired results at the earliest. (Action : Commissioner, Rural Development, GoUP & all Lead Banks)
2.	Distribution & Activation of RUPAY Cards issued under PMJDY & also Aadhaar Seeding in Bank Accounts of beneficiaries under various Govt. programmes	Under the PMJDY, the Banks in the State opened large number of Bank Accounts which have been issued the RUPAY debit cards. However, it is observed that distribution of these cards and inturn their activation could not happen for various reasons. Further, the Govt. of India is emphasizing upon the Aadhaar Seeding in Bank accounts of the beneficiaries under various Govt. programs viz. MANREGA, Central Government Pensioners, DBT beneficiaries etc. However, the desired results are not forthcoming. Accordingly, the DFS, MoF, GoI & the State Govt. has initiative various steps and issued necessary instructions to the Banks to bring about marked improvement in the aforementioned areas including organizing special camps, field visits, taking services of the Business Corresponents etc. The Banks have taken all necessary steps in this direction for ensuring achievement of the desired results.	In view of the importance attached to these issues, the Banks are requested to continue their ongoing efforts more vigorously so as to achieve the desired goals. (Action: All Banks)

3.	Opening of Brick & Mortar Branches of SCBs (including RRBs) in the villages having population of 5000 & above which are still not having a branch of SCBs (including RRBs) as per the Roadmap.	In tune with, RBI's instruction vide letter no. FIDD.Co.LBS.BC.No.82/02.01.001/2015-16 dated 31.12.2015, a Roadmap was prepared in the State and -571- centres have been identified for opening of a new B & M Branch. This allocation exercise was finalized in consultation with all concerned and was approved by the respective DCCs in the District. The detailed modalities of this scheme had been communicated by SLBC to all concerned vide communication no. EUPZ/42/SLBC/Br. Expansion/129 dated 01.04.2016 with a request to complete this exercise within the set timeline of March 2017. Till March 2017 -51- Bank Branches have been opened by various banks leaving a gap of -521- branches to be opened at the erliest. A detailed discussion has taken place during a Sub – Committee Meeting dated 04.05.2017 at Bank of Baroda. The issue has been effectively taken up with all Banks by SLBC.	RBI has expressed their concern & displeasure over no marked improvement in this regard. All -31- Banks who have been allocated their share for opening of Branches are requested to initiate urgent suitable action so that the targets are achieved with in the set timelines. (Action: All -31- Banks)
4	Status of Bank Mitras (Business Correspondents)	To cover -27628- SSAs in UP, 21175 Bank Mitrs are required. As per DFS, MoF, GoI report dated 25.11.2016 Banks have total -18061- Active BCs which constitute 84.97% of total requirement. It is pertinent to mention that for 100% coverage of SSAs, each SSA is either covered by Bank Branch or by an active BC so that none of the SSA is deprive from financial services. We, therefore, request to all member banks to replace the inactive BCs by engaging new BC or to motivate the existing BCs to activate at the earliest.	Looking to the seriousness of the matter pertaining to inactive/defunct BCs we request to all the member banks: - To speak to inactive/defunct BCs over mobile or in person to ascertain whether they want to continue to work as BC or not, and what is the reason of inactiveness. - If for any challenge/difficulties faced by them to become inactive, Bank to examine the challenges and come out with some concrete solution to make them active. - If it is found that the existing BCs is no more interest to continue, then all such BCs should be replaced with new BCs. - Bank to ensure that all their BCs are equipped with AEPS (Aadhaar Enabled Payment System) and PIN Pad / Micro ATM which allow online interoperable financial inclusion transactions.
5.	Submission of LBS MIS I, II & III Statements by Banks	The Reserve Bank of India has issued guidelines vide Master Circular – RBI/2016-17/02 FIDD.CO.LBS.BC.No. 5/02.01.001/2016-17 dated 01.07.2016 for submission of various periodical returns on prescribed format LBS MIS I, II & III under the Lead Bank Scheme. The position of disbursement, outstanding and recover is monitored by various authorities on the basis of Bank-wise data. However, it is experienced that the periodical data is not submitted to the SLBC as per prescribed time schedule which ultimately leads to the inordinate delay in submission of the consolidated information to RBI in respect of the various Banks in the State. In view of the statutory requirement and the importance of this data base, the Banks are required to invariably submit the periodical information on prescribed proforma as per prescribed time schedule to the SLBC. Incidentally, this issue is being regularly taken up by SLBC with all Banks for necessary action and resolution.	In view of the fact that the desired outcome is not yet forthcoming and Reserve Bank of India has viewed it seriously, the Banks are requested for suitable necessary action in this regard in tune with extant guidelines of Reserve Bank of India. (Action: All Banks)

List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 27.03.2017

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	Email_ID
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Executive Director	Shri Ashok Kumar Garg		
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri B S Dhaka	0522-6677607	zm.upu@bankofbaroda.com
3				Dy. Zonal Head (WUP&U Zo	Shri Mahendra Kumar		
4	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri Ajay Kumar		
5				Dy. General Manager	Shri S K Verma	8004921328	skverma1@rbi.org.in
6	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri A K Panda		
7				Asstt. Gen. Manager	Shri N K Roy	8765751042	nabin.roy@nabard.org
8	State Bank of India	Chief Gen. Manager/Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri Gautam Sen Gupta		
9				General Manager	Shri Shreekant	9437165853	Shreekanth@sbi.co.in
10				Dy. General Manager	Shri R N Dixit	9599935515	dgmoutreach.lholuc@sbi.co.in
11				Asstt. General Manager	Shri Hari Om Agarwal	9892133889	agmlb.lholuc@sbi.co.in
12	Allahabad Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri Dinesh Kumar	9417003921	fgmo.luc@allahabadbank.in
13				Senior Manager	Shri Raj Kumar Sharma	9415527540	fgmo.luc-slbc@allahabadbank.in
14	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri L D Rewatkar	9721777711	
15				Senior Manager	Shri Motilal	9918702102	
16	Syndicate Bank	Field General Manager	No	Asstt. General Manager	Shri S K Chopra	8004918273	ro.lucknow@syndicatebank.co.in
17				Senior Manager	Shri S P Yadav	8004912850	fgmo.lucknow@syndicatebank.co.in
18	Bank of India	Gen. Manager/ State Head	No	Dy. General Manager	Shri Sulakhan Singh	9780432277	Nb.north2@bankofindia.co.in
19	Central Bank of India	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri S K Khanna	9918001142	zm.luck20@centralbank.co.in
20				Chief Manager	Shri Anil Kumar	9918002151	rdluckzo@centralbank.co.in
21	Punjab National Bank	Field Gen. Manager/ State Head	No	General Manager	Shri Rakesh Shukla	7073888700	rakeshshukla@pnb.co.in
22				Chief Manager	Shri V V Singh	9910818883	vvsingh@pnb.co.in
23				Officer	Shri Nand Kishore	8173000132	nandkishore@pnb.co.in
24	Canara Bank	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Pramod Kumar	9936406606	kumarpramod@canarabank.com
25				Senior Manager	Shri Kirit Nagar	8756993559	
26	Indian Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Sanjay Lade	7233002101	zolucknow@indianbank.co.in
27	Dena Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri S C Bantolia	9721459111	sbantolia@denabank.co.in
28				Manager	Shri shiv Sagar Chaurasia	9721459202	rdd.lucknow@denabank.co.in
29	Punjab & Sind Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Rajiv Rawat	9839066415	zm.lucknow@psb.co.in
30				Senior Manager	Shri Ganga Sagar	9918727606	zo.lucknow@psb.co.in
31				Manager	Shri Sayantan Adhikary	9888017038	ho.ps@psb.co.in
32	Corporation Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	No Participation			
33	Andhra Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. Gen. Manager	Shri V S Rao	7311106709	vssrao@andhrabank.co.in
34				Asstt. Manager	Shri Anil Kumar	8181834989	zoluck@andhrabank.co.in
35	Indian Overseas Bank	Chief Regional Manager/State Head	No	Senior Regional Manager	Shri S K Sinha	9839010168	lucknowrm@iobnet.co.in
36				Shri Samir Tiwari	Senior Manager	9450365872	adv@luck.iobnet.in
37	Oriental Bank of Commerce	Zonal Head	No	Dy. Gen. Manager	Shri Susanta Bhattacharjee	8853099001	obcclassic_lko@obc.co.in
38				Chief Manager	Shri Bimal Kishore Pandey	8813942920	cmo_bb_ecub@obc.co.in
39	United Bank of India	Chief Regional Manager	Yes	Chief Regional Manager	Shri Kanwal Jeet Shorey	9935011116	kanwaljitshorey@yahoo.in
40	UCO Bank	Zonal Head	Yes	General Manager	Ms. Kalpana	7054845888	circleoffice.lucknow@ucobank.co.in
41				Dy. Gen. Manager	Shri J C Chhipa	9415012621	zo.lucknow@ucobank.co.in
42	Vijaya Bank	Gen. Manager	Yes	Regional Head	Shri N C Roy	9935057850	rmrolucknow@vijayabank.co.in
43				Senior Manager	Shri Kaushal Kumar Singh	7572024243	creditplucknow@vijayabank.co.in
44	Bank of Maharashtra	State Head	No	Chief Manager	Shri R K Porwal	9041539430	dcmlucknow@mahabank.co.in
45	State Bank of B & J, New Delhi	Dy. General Manager	No	Chief Manager	Shri Vijay Kumar	8800955396	agm2del@sbbj.co.in
46	State Bank of Hyderabad, Lucknow	Dy. General Manager	No	Chief Manager	Shri Binod Kumar	9966390539	(lucknow)@sbhyd.lucknow.co.in
47	State Bank of Patiala	Dy. General Manager	No	Chief Manager	Shri Manoj Kumar Singh	9936770068	mksingh.sbp@sbi.co.in
48				Manager	Shri Rishi Kumar Srivastava	9519151222	rishik.srivastava@sbp.co.in
49	State Bank of Mysore	Dy. General Manager	No	No Participation			
50	State Bank of Travancore, Lucknow	State Head	No	No Participation			

51	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri D P Gupta	7704809183	bugb@barodaup.com
52	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri M N Patel	8127769700	chairman.augb@gmail.com
53	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	Yes	Chairman	Shri S B Singh	7388800777	chairman.gba@gba-rrb.com
54	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri M S Arora	9837036728	msarora@prathmabank.org
55	Purvanchal Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri A K Sinha	7571810001	chairmanpgb@gmail.com
56	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri D K Yadav	8171989444	dkyadav@pnb.co.in
57	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Bhola Prasad	9415600700	chairman.kgsg@kgsgbank.co.in
58	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	No	Chief General Manager	Shri Ashok Dubey	9415164014	
59	UPSGVB	Managing Director	No	Asstt. Gen. Manager	Shri A K Pandey	9453075535	anil66pandey@gmail.com
60	Axis Bank	Circle Head	No	Senior Manager	Ms. Mitali Savant	9889016931	mitali.savant@axisbank.com
61	Bhartiya Mahila Bank	State Head	No	Asstt. Manager	Shri Aditya Kumar Pandey	7880550087	br.lucknow@bmb.co.in
62	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	No	Dy. V.P. & Nodal Officer	Shri Anurag Gupta	9336820290	anuraag.gupta@hdfcban.com
63	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Manager, Credit	Shri Mohd. Asad Gour	7055101598	mahanagar@nainitalbank.co.in
64	IDBI Bank Ltd.	General Manager	No	Asstt. General Manager	Ms. Parul Singh	9999508883	parul.singh@idbi.co.in
65	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	No	Chief Manager	Shri Anil Kumar	8003295857	anilr.kumar@icicibank
66				State SLBC Head	Shri Aftab A Khan	8756888141	aftab.alam@icicibank.com
67	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Branch Manager	Shri S K Saurabh	9839222575	lucknow@ktkbank.com
68	Indusind Bank Ltd., Lucknow	Regional Relationship Officer/ State Head	No	No Participation			
69	Federal Bank	State Head	No	No Participation			
70				No Participation			
71	Kotak Mahindra Bank	State Head	No	No Participation			
72	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	No Participation			
73	Govt. of U.P.	Agriculture Production Commissioner	Yes	No Participation			
74	Govt. of U.P.	Principal Secretary, Institutional Finance	Yes	Principal Secretary, Institutional Finance	Shri Anoop Chand Pandey, IAS		
75	SIDBI	State Head/General Manager	Yes	General Manager	Shri Arup Kumar	9870508754	arupkumar@sidbi.in
76	Revenue Deptt., GoUP	Principal Secretary, GoUP	No	No Participation			
77	Deptt. of Handlooms & Textiles and MSME, GoUP	Principal Secretary, GoUP	No	Dy. Commissioner	Shri K P Verma	9415268129	
78	Urban Development & SUDA	Secretary, GoUP	No	SHM SUDA	Shri O K Singh	9412270501	nulmup@gmail.com
79				SHM SUDA	Ms. Seemii Omair	9792201519	nulmup@gmail.com
80	SSI & Export Promotion	Secretary, GoUP	No	Special Secretary	Shri Akhilesh Kumar Ojha, IAS	9415214239	akhileshojha58@gmail.com
81	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No	No Participation			
82	Directorate of Industries, Kanpur	Commissioner & Director, GoUP	No	Dy. Director	Shri Sarveshwar Shukla	9415054007	diup123@radifmail.com
83				Asstt. Director	Shri Jagadish Sahu	9453127545	jsahumsme@gmail.com
84				Asstt. Director	Shri V K Bhatt	7505075691	
85	Rural Development	Principal Secretary, GoUP	No	No Participation			
86	UPSRLM	Mission Director	No	Dy. Commissioner	Shri M Lal	9473626762	
87				State Project Manager	Shri Om Prakash Chaturvedi	8176880399	upsrlm.pmmf@gmail.com
88	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director General	Yes	Director General	Shri Shiv Singh Yadav		
89				Addl. Director	Shri Rakesh Krishna	9415102881	
90					Dr. Suman Srivastava	0522-4026354	
91				Research Officer	Dr. Raghuvendra	9415654000	
92	Social Welfare	Principal Secretary, Social Welfare	NO	Under Secretary	Shri Kamta Prasad	9454412197	
93	UPSC Finance Corporation	Managing Director	No	C.F.A.O	Shri R K Shukla	7310101520	
94	Directorate of Agriculture	Director	No	Director (Statistics)	Shri Vinod Kumar Singh	9235629305	agristat@gmail.com
95	Khadi & Village Industry Comm.	State Director	Yes	State Director	Shri R S Pandey		kvic.lko2011@gmail.com
96				Asstt. Director-II	Shri Ashutosh Kr. Singh	9415463417	
97	National Horticulture Board	Director	No	No Participation			
98	National Commission for SCs, GoI	Director	No	No Participation			
99	UP Minotiry Finance Dev. Corpn.	Managing Director	No	No Participation			
100	Khadi & Village Industry Board	Chief Executive Officer	No	Dy. CEO	Shri Hari Ram Singh	7408410716	ceoupkvib@gmail.com
101	UP Bhoomi Sudhar Nigam	Managing Director	No	Executive Credit	Shri Anil Singh Chandel	9450095722	credit.upbsn@gmail.com
102	Police Headquarter	Director General	No	SP (Law & Order)	Shri J K Shukla	9454400202	

103	National Housing Bank	Regional Manager/DGM	No	No Participation			
104	Udyog Bandhu	Executive Director	No	Director (IR&GR)	Shri Vivekanand	9412039736	info@udyogbandhu.com
105	HUDCO	Dy. Gen. Manager	No	Jt. Gen. Manager (P)	Shri R K Srivastava	9450932215	hudcolucknow@gmail.com
106	RSETI, MoRD	State Project Co-ordinator	Yes	State Director	Shri M. Minhajuddin	9450390877	mcspc.minhajuddin@gmail.com
107	LIC of India	Regional Manager	No	Senior Branch Manager	Shri Harjeet Singh Sachdeva	9411451641	hs.sachdeva@licindia.com
108	Oriental Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	No	Administrative Officer	Shri Chandra Shekher Chaturvedi	9415426329	cs.chaturvedi@orientalinsurance.co.in
109	National Insurance Co.Ltd.	Dy. Manager	No	Manager	Shri Ashok Kumar Singh	7704900108	ashokk.singh@nic.co.in
110	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	Chief Regional Manager	No	No Participation			
111	United India Insurance Co.	Regional Manager	No	No Participation			
112	Planning Department	Principal Secretary	No	No Participation			
	Special Invitee						
113	Directorate of Census Operations	Dy. Director	No	No Participation			
114	UIDAI	Asstt. Director General	Yes	Asstt. Director General	Shri Pooran Mal	9415261200	pooran.mal@uidai.net.in
115	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	No	Joint Secretary	Shri D S Singh	9454412242	
116				Dy. Director	Dr. Todar Mall	9452237571	kamdhenuyojana2015@gmail.com
117				Dy. Director	Dr. Adesh Chandra	9335904732	adesh2468@gmail.com
118	BSNL			Asstt. Gen. Manager	Shri N K Verma	9450927567	nkvermaagmcb@gmail.com
119	Bank of Baroda			Dy. Gen. Manager	Shri A K Singh	0522-6677704	
120				Asstt.Gen. Manager(SLBC)	Shri Rajeev Srivastava	0522-6677722	slbc.up@bankofbaroda.com
121				Chief. Manager	Shri K. K Mathur	0522-6677721	slbc.up@bankofbaroda.com
122				Manager	Shri R K Agrawal	9415182483	
123				Manager	Shri B K Gupta	0522-6677730	ps.upu@bankofbaroda.com
124				Manager	Shri M N Srivastava	0522-6677725	slbc.up@bankofbaroda.com
125				Manager	Shri Raj Kumar Jaiswal	0522-6677694	fi.upu@bankofbaroda.com
126				Officer	Shri Ayush	0522-6677725	cfip.upu@bankofbaroda.com
127				SWO-A	Shri Arun Agarwal	0522-6677725	
128				SWO-A	Ms Anjali Singh	0522-6677726	
129				SWO-A	Ms. Shikha Tripathi	0522-6677726	